<u>प्रतिवेद्य</u>

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>दीवानी याचिका संख्या 3520/2022</u>

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 19303/2021 से उत्पन्न)

समर्पण वरिष्ठ जन परिषद और अन्य ..... अपीलार्थी (गण)

बनाम

राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल और अन्य ..... उत्तरदाता (गण)

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता</u>

1. जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया था, वर्तमान अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2021 को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा वादी–प्रतिवादियों द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी गई थी और अंतरिम निषेधाज्ञा बहाल की गई थी।

2. नगर निगम, लखनऊ ने आदिल नगर, रिंग रोड लखनऊ में समर्पण नाम से एक वृद्धाश्रम का निर्माण किया है।दिनांक 05.12.2004 को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में अपीलकर्ता को शुरू में ऐसे वृद्धाश्रम को दिनांक 01.09.2005 से 15

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वर्ष के लिए चलाने के लिए लेकिन 1 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण की शर्त के साथ पट्टे पर दिया गया था। पट्टे में निहित शर्तों में से एक यह था कि पट्टेदार यानी अपीलकर्ता द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। अपीलकर्ता ने वृद्धाश्रम में सेवाओं के अनुदान के लिए नियम और विनियमन बनाए। इस तरह के नियमों और विनियमों पर विचार किया गया था कि कैदियों द्वारा जमा की गई सहयोग निधि का उपयोग आवास, भोजन, बिस्तर और रहने की अन्य आवश्यक सेवाओं और सामान्य उपचार के लिए किया जाएगा, लेकिन महंगा चिकित्सा उपचार और खर्च कैदियों को स्वयं वहन करना था। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा परिसर के किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो प्रशासन को उसे एक माह की अवधि का नोटिस जारी कर उसे निष्कासित करने और उसकी सदस्यता समाप्त करने का पूरा अधिकार है। प्रासंगिक खंड इस प्रकार हैः

> "21. यदि किसी व्यक्ति द्वारा परिसर के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रशासन को उसे एक महीने की अग्रिम सूचना जारी कर उसे निष्कासित करने और उसकी सदस्यता समाप्त करने का पूरा अधिकार है। प्रबंधन ऐसा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।"

3. दिनांक 23.04.2016 को वादी–प्रतिवादियों ने अपने चार बच्चों, एक पुत्र और तीन पुत्रियों का विवरण देते हुए वृद्धाश्रम में रहने के लिए आवेदन किया। दो बेटियां लखनऊ में रहती हैं और एक बेटा और एक बेटी फैजाबाद में रह रही हैं। वादी ने ऊपर उल्लिखित नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए शपथपत्र भी दिया था था।

4. इस बात पर विवाद है कि क्या वादी संख्या 2 एक मनोरोग रोगी है और अन्य कैदियों और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन इस तथ्य में जाने के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बिना इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है कि वृद्धाश्रम में रहने वाले को ऐसे वृद्धाश्रम में रहने का क्या अधिकार है।

5. यह कहा गया है कि पट्टे की शर्तों के संदर्भ में समिति ने दिनांक 26.10.2019 को अपनी बैठक आयोजित की। उक्त बैठक में वादी का कहना था कि यदि प्रशासन को उनके खिलाफ कोई शिकायत मिली है तो उन्हें माफ किया जा सकता है और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होगी।यह बताया गया कि बुढ़ापे के कठिन समय में, अपीलकर्ता का दृष्टिकोण बहुत उदार होना चाहिए।समिति द्वारा वादी को एक महीने का और समय देने का निर्णय लिया गया ताकि उनके व्यवहार का निरीक्षण किया जा सके। यदि कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उन्हें नियम 21 के अनुसार परिसर छोड़ने के लिए कहा जाएगा।

6. चूंकि कोई व्यवहार परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए अपीलकर्ता ने दिनांक 22.11.2019 को वादी की सदस्यता रद्द कर दी। इसके बाद, वादी ने विज्ञापन–अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन के साथ, सिविल कोर्ट के समक्ष निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया। अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए इस तरह के आवेदन पर, विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.12.2019 को एक आदेश पारित किया कि वाद के लंबित रहने के दौरान वादी को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, अपील में इस तरह के आदेश को अपर जिला न्यायाधीश लखनऊ की अदालत ने दिनांक 20.10.2020 को खाली कर दिया था।वादी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में आदेश को अपास्त कर दिया गया।

7. वादी ने इस न्यायालय के समक्ष एक प्रति शपथ पत्र दायर किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ वृद्धाश्रम की वित्तीय अनियमितताओं, गबन, आंतरिक

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गलत प्रबंधन अन्य बातों के साथ–साथ उनकी दयनीयता, जबरन वसूली अन्य बातों के साथ–साथ यातना की जांच की मांग की गई है।

3 यह वादी–प्रतिवादियों का रूख है कि उन्होंने वित्तीय हेराफेरी, कुकर्मों और अमानवीय रवैये को उजागर करने के लिए एक सचेतक के रूप में काम किया। खाद्य सुविधाओं की गुणवत्ता या चिकित्सा उपचार में दान किए गए वाहनों के दुरुपयोग आदि के संबंध में शिकायत की गई थी।

8. एसीपी गाजीपुर श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा दायर एक अलग हलफनामे में कहा गया है कि वादी वृद्ध माता–पिता हैं जिन्हें उनके ही बच्चों ने छोड़ दिया है। 24 अन्य व्यक्ति भी हैं लेकिन उनकी ओर से थाने में ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि 25,000/– रुपये की जमानत के बदले अपीलकर्ता ने 75,000/– रुपये जमा करने की मांग की है। यह कहा जा सकता है कि थानाध्यक्ष इस मुकदमे का पक्षकार नहीं थे, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पुनरीक्षण याचिका में वादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा गया था।

9. अपीलकर्ता द्वारा दायर एक प्रत्युत्तर शपथपत्र में श्री शर्मा द्वारा किए गए दावों का खंडन किया गया है। यह बताया गया है कि दो बेटियां शिखा अग्रवाल और रुचिका अग्रवाल अपने माता–पिता से मिलने जाती हैं और उन्होंने शपथपत्र दिया है कि वे अपने माता–पिता के अभिभावक के रूप में कार्य करेंगी और उनकी चिकित्सीय आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगी।यह भी कहा गया है कि जिला समाज कल्याण विभाग के पर्यवेक्षक श्री हरपाल सिंह दिनांक 08.11.2020 को वृद्धाश्रम गये और वादी को और समाज कल्याण विभाग के एक वैकल्पिक वृद्धाश्रम की निःशुल्क पेशकश की।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

10. नगर निगम और राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उनके पास वर्तमान अपील में जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है।

11. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और पाया कि जांच किए जाने के लिए आवश्यक मुद्दा यह है कि वृद्धाश्रम में कैदियों की स्थिति क्या है , क्या वे लाइसेंसधारी व्यक्ति हैं और /या उन्हें अधिकार के रूप में आजीवन वृद्धाश्रम में रहने का अधिकार है।

12. कानून तीन प्रकार के कब्जे को मान्यता देता है। एक मालिक के रूप में, सह–मालिकों सहित, दूसरा एक किरायेदार के रूप में, जब संपत्ति में एक अधिकार बनाया जाता है, और तीसरा अनुमेय कब्जा, वह कब्जा जो अवैध या अतिचार के रूप में होगा। वर्तमान अपील में, हम तीसरी श्रेणी में आने वाले कब्जे से संबद्ध हैं। इस न्यायालय ने एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया बनाम आर.एन. कपूर[1] मामले में अपने निर्णय में अवधारित किया है कि लाइसेंसधारी व्यक्ति के मामले में भारतीय सुगमता अधिनियम, 1882 की धारा 52 के अनुसार, मालिक के पास कानूनी अधिकार जारी रहता है और दूसरे की संपत्ति पर केवल अधिकार का अनुदान, कुछ ऐसा जो इस तरह के अधिकार के अभाव में गैरकानूनी होगा। इस प्रकार, यह आवश्यक विशेषता है जो एक पट्टे से लाइसेंस को अलग करती है।

13. सोहन लाल नारायणदास बनाम लक्ष्मीदास रघुनाथ गादित[2] में, यह माना गया है कि एक पट्टा संपत्ति में ब्याज बनता है जबकि एक लाइसेंस अनुदानकर्ता की अचल संपत्ति में कोई संपत्ति या ब्याज नहीं बनता है।

इसे निम्नानुसार धारित किया गया थाः–

---

1 AIR 1959 SC 1262

2 (1971) 1 SCC 276

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"8. एक लाइसेंस अनुदानकर्ता की अचल संपत्ति में या उस पर कुछ करने या जारी रखने का अधिकार प्रदान करता है, जो कि अधिकार के अनुदान के लिए गैरकानूनी हो सकता है, लेकिन यह अनुदानकर्ता की अचल संपत्ति में कोई संपत्ति या हित नहीं बनाता है। दूसरी ओर एक पट्टे की संपत्ति के पट्टान्तरित होने में ब्याज बनता है।"

14. मगनलाल राडिया बनाम महाराष्ट्र राज्य[3] में, एक पट्टेदार ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण लेख के रिट को रद्द करने और कलेक्टर, बॉम्बे द्वारा चौपाटी फोरशोर पर स्थित एक भूखंड को खाली करने के लिए बुलाए गए आदेशों को अपास्त करने के लिए एक याचिका दायर की।

जांच किए गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या याचिकाकर्ता को यथासंभव लंबे समय तक कब्जे में रहने का अधिकार था। इसे निम्नानुसार धारित किया गया थाः–

"1.... इसलिए, मूल कानून के मामले में याचिकाकर्ता के पास विवादित परिसर के कब्जे में रहने के अधिकार नहीं है और प्रतिवादियों के इस दावे का कोई जवाब नहीं है कि उसे विवादित भूमि खाली कर देनी चाहिए और वर्तमान याचिका केवल समय हासिल करने और यथासंभव लंबे समय तक कब्जे में रहने के उद्देश्य से दायर की गई प्रतीत होती है।"

15. उच्च न्यायालय ने याचिका पर इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता केवल एक लाइसेंसधारी व्यक्ति था।यह माना गया कि यदि वर्तमान याचिका पर विचार किया जाता तो जो अन्याय होता, वह इस तथ्य के मद्देनजर अधिक होता कि लाइसेंस विशुद्ध रूप से अस्थायी उद्देश्य के लिए था।

---

3 1971 Mh.L.J. 57

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

16. कॉनराड डायस आफ बॉम्बे बनाम जोसेफ डायस आफ बॉम्बे[4] के बाद के एक निर्णय में पिता ने प्रतिवादी को विवादित परिसर में प्रवेश करने या रहने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए अपने बेटे के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया।यह माना गया कि पुत्र जो घर में माता–पिता के साथ रहता है, वह किसी भी कानूनी चरित्र का दावा नहीं कर सकता है, लाइसेंसधारी व्यक्ति के चरित्र के रूप में सुखभोग अधिनियम की धारा 52 में परिभाषित किया गया है। वह परिवार के सदस्य के रूप में सादगी से रह रहा है और कुछ ज्यादा नहीं और कुछ कम नहीं। यह भी माना गया कि बेटे ने न तो किरायेदारी या लाइसेंस का दावा किया है और इस प्रकार, परिवार के सदस्य के रूप में घर में रहने के अलावा उसका कोई कानूनी चरित्र या स्थिति नहीं है।दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, बेटे द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया था।

17. हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) और अन्य बनाम मेसर्स होटल मल्लीगी प्रा. लिमिटेड[5] में प्रतिवादी को 2500 वर्ग मीटर की भूमि पर अपीलकर्ता द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया था। न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया कि आप एक पट्टेदार को पसंद नहीं करते हैं, सामान्य बोलचाल में लाइसेंस की कानूनी घटना यह है कि लाइसेंसधारी व्यक्ति को मृत संपत्ति पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि कानूनी कब्जा हमेशा लाइसेंसकर्ता व्यक्ति के पास रहता है। इस प्रकार, यह निम्नानुसार अवधारित किया गया थाः

> "26. लाइसेंस की अवधारणा, एक पट्टे से पूरी तरह से अलग होने के कारण, लाइसेंस अवधि की समाप्ति के बाद लाइसेंस प्राप्त परिसर पर किसी भी पट्टे के अधिकार का दावा करने और उसके कब्जे जारी रहने के लिए लाइसेंसधारी व्यक्ति के विचार के लिए नहीं है।लाइसेंस अवधि

4 1994 SCC OnLine Bom 528

5 2017 SCC OnLine Hyd 1

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

समाप्त होने पर इसकी स्थिति एक अतिचार की है।किसी भी घटना में, भले ही लाइसेंसधारी व्यक्ति यह स्थापित करने की स्थिति में हो कि वह अपने निर्वाह के दौरान लाइसेंस के लाभों से कानूनी रूप से वंचित था, केवल राहत जो वह मांग सकता है वह मुआवजे/क्षति के रूप में है। लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद लाइसेंसधारी परिसर पर कब्जा जारी रखने के अधिकार का दावा करने के लिए लाइसेंसधारक के लिए कोई कानूनी और तर्कसंगत आधार नहीं है।ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय लाइसेंस और पट्टे के बीच के अंतर से अनभिज्ञ रहा है, जैसा कि मध्यस्थता ओ.पी. संख्या 2229/2016 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2016 से स्पष्ट है।"

18. जनरल मर्चेंट एसोसिएशन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर और अन्य बनाम दि कार्पोरेशन आफ चेन्नई, और इसके कमिश्नर, चेन्नई[6] के रूप में रिपोर्ट किये गए एक निर्णय में मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एक फैसले में अवधारित किया गया कि अपीलकर्ता कार्पोरेशन में फल मंडी में एक दुकान के आवंटी थे। दुकानदारों ने उनके लाइसेंस को समाप्त करने और लाइसेंसधारियों को अपने कब्जे में संबंधित दुकानों के कब्जे को खाली करने और आत्मसमर्पण करने के लिए निगम की कार्रवाई को चुनौती दी। यह रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए अवधारित किया गया थाः

"24. इस विषय पर पूरा मामला कानून कार्डिनल टच स्टोन के इर्द-गिर्द घूमता है, जिस पर पक्षकारों के बीच संबंध जो लाइसेंसकर्ता व्यक्ति या लाइसेंसधारी व्यक्ति या पट्टेदार होने का दावा करते हैं, यह तय करना होता है कि क्या अनुदान समझौते की विषय वस्तु के भीतर संपत्ति में ब्याज या संपत्ति बनाता है।जैसा कि अवधारित किया गया है, अनन्य

6 1998 SCC OnLine Mad 848

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कब्जे का देना यह मानने के लिए निर्णायक नहीं होगा कि अनुदान एक पट्टा है। वर्तमान मामले में आसपास की परिस्थितियों और पक्षकारों के आचरण से पता चलता है कि नगर निगम के स्टालों के रिट याचिकाकर्ताओं/लाइसेंसधारियों के पक्ष में किसी भी समय संपत्ति में कोई हित नहीं बनाया गया है और याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि वे पट्टेदार हैं, दूर की कौड़ी है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता।

xx xx xx

26. यह भी समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि समाप्ति के बाद एक लाइसेंसधारी की स्थिति गैरकानूनी हो जाती है और लाइसेंसधारी किसी भी निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है जो लाइसेंसकर्ता को उसे बेदखल करने से रोकता है क्योंकि एक किरायेदार के विपरीत एक लाइसेंसधारी के पास न्यायिक कब्जा नहीं होता है और कब्जा हमेशा लाइसेंसकर्ता के पास रहता है और जो दिया गया था वह लाइसेंस के संदर्भ में एक विशेषाधिकार है, जो इस तरह के अनुदान के अभाव में गैरकानूनी हो जाता है।

27. सार्वजनिक बाजार में स्टालों /दुकानों के संबंध में रिट याचिकाकर्ताओं का कब्जा मूल रूप से दिए गए लाइसेंस के लिए संदर्भित है क्योंकि उनकी स्थिति लाइसेंसधारी की है। एक बार इस तरह के लाइसेंस को समाप्त कर दिए जाने के बाद, स्टालों का कब्जा गैरकानूनी हो जाता है क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है और समाप्ति के बाद इस तरह के कब्जे का कब्जा किसी वैधानिक प्रावधान द्वारा संरक्षित नहीं होता है। सुगमता अधिनियम 1982 की धारा 63 के अनुसार, जहां लाइसेंस निरस्त किया जाता है, लाइसेंसधारी व्यक्ति अपने सभी सामानों को हटाने के लिए संपत्ति छोड़ने के लिए

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उचित समय का हकदार है, जिसे उसे रखने की अनुमति दी गई है।जैसा कि पहले ही बताया गया है लाइसेंस की समाप्ति के बाद भी परिसर में रहने वाला व्यक्ति की स्थिति गैरकानूनी है और उसे परिसर में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।"

19. रामे गोडा (मृत) के विधिक प्रतिनिधि द्वारा बनाम एम. वरदप्पा नायडू (मृत) के विधिक प्रतिनिधि द्वारा[7] मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ अंतरिम निषेधाज्ञा के प्रश्न पर विचार कर रही थी। यह माना गया कि शांतिपूर्ण कब्जे वाला व्यक्ति अपने कब्जे को बनाए रखने का हकदार है और इस तरह के कब्जे की रक्षा के लिए, वह एक अतिचारी को बाहर रखने के लिए उचित बल का उपयोग भी कर सकता है। यह आगे कहा गया कि यह बिना हक के किसी व्यक्ति का लिया हुआ कब्जा या प्रभावी कब्जा जो उसे सच्चे मालिक के खिलाफ भी अपने कब्जे की रक्षा करने का अधिकार देता है। इसे निम्नानुसार धारित किया गया थाः

"9 बसा हुआ कब्जा (i) प्रभावी, (ii) अबाधित, और (iii) मालिक की जानकारी में या अतिचारी द्वारा छिपाने के किसी भी प्रयास के बिना होना चाहिए।वाक्यांश बसाए हुए कब्जे में कोई विशेष आकर्षण या जादू नहीं है; न ही यह कोई कर्मकांडीय सूत्र है जिसे जंजीर में बांधा जा सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा एजेंट या नौकर के रूप में संपत्ति का कब्जा मालिक के कहने पर काम करना वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं होगा।"

20. मारिया मार्गारीडा सेक्विरा फर्नांडिस एवं अन्य बनाम एरासमो जैक दा सेक्वेरिया (मृत)[8] के विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से अन्य तीन न्यायधीशों की पीठ के निर्णय में के बीच निषेधाज्ञा के प्रश्न पर विचार कर रही थी और वादी – भाई, जिसे एक कार्यवाहक के रूप में संपत्ति दी गई थी और वादी की बहन

7 (2004) 1 SCC 769

8 (2012) 5 SCC 370

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मालिक है। इस न्यायालय के समक्ष एक तर्क दिया गया था कि एक कार्यवाहक का कब्जा कभी भी किसी के अधिकार में नहीं हो सकता है और विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत निषेधाज्ञा के लिए कोई मुकदमा चलाने योग्य नहीं था। इसे निम्नानुसार धारित किया गया थाः

> "83. दीवानी मुकदमा में निषेधाज्ञा देना या इनकार करना दीवानी मुकदमा में सबसे महत्वपूर्ण चरण है। निषेधाज्ञा देने या इनकार करते समय न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों द्वारा उचित देखभाल , सावधानी, परिश्रम और ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिकांश मामलों में, मामले का भाग्य एक निषेधाज्ञा के अनुदान या इनकार द्वारा तय किया जाता है।अनुभव से पता चला है कि एक बार निषेधाज्ञा दिए जाने के बाद, इसे खाली करना प्रतिवादी के लिए एक दुःस्वप्न बन जाएगा।
>
> xx xx xx
>
> 97. इस मामले में उभरने वाले कानून के सिद्धांतों को निम्नानुसार स्वरूप दिया गया है:
>
> (1) किसी व्यक्ति को परिसर में रहने की अनुमति दी जाने पर उसे उस संपत्ति का हक नहीं प्राप्त हो सकता है।यहाँ तक कि वर्षों या दशकों के लंबे समय तक कब्जे के बाद भी ऐसा व्यक्ति उक्त संपत्ति में कोई अधिकार या हित अर्जित नहीं करेगा।
>
> (2) केयरटेकर, चौकीदार या नौकर कभी भी अपने लंबे समय से कब्जे के बावजूद संपत्ति में हित प्राप्त नहीं कर सकता है।केयरटेकर या नौकर को मांग किये जाने पर तुरंत कब्जा देना होता है।
>
> (3) अदालतें किसी कार्यवाहक, नौकर या किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे की रक्षा करने में न्यायोचित नहीं हैं जिसे कुछ समय के लिए परिसर में

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

रहने की अनुमति दी गई थी या तो मित्र, रिश्तेदार, कार्यवाहक या नौकर के रूप में।

(4) न्यायालय का संरक्षण केवल उसी व्यक्ति को दिया या बढ़ाया जा सकता है जिसके पास वैध, मौजूदा किराया समझौता, पट्टा समझौता या उसके पक्ष में लाइसेंस समझौता है।

(5) केयरटेकर या अभिकर्ता केवल मूलधन की ओर से मूलधन की संपत्ति रखता है। वह अपने लंबे समय तक रहने या कब्जे के बावजूद ऐसी संपत्ति में अपने लिए कोई अधिकार या हित प्राप्त नहीं करता है।"

21. इस तरह की निष्कर्ष के मद्देनजर, अपील को अनुमति दी गई थी और वाद परिसर के कब्जे को अपीलकर्ता, मालिक को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

22. बेहराम तेजानी और अन्य बनाम अजीम जगनी[9] मामले में किए गए एक अन्य फैसले में, प्रतिवादी ने अपील में वादी को वाद परिसर से निकालने से रोकते हुए निषेधाज्ञा का दावा करते हुए एक वाद दायर किया।न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया हैः–

"14. इस प्रकार, एक व्यक्ति जो बिना किसी शुल्क के या एक कार्यवाहक या नौकर के रूप में परिसर में रहता है तो संपत्ति में कोई अधिकार या हित प्राप्त नहीं करेगा और उस स्थिति में लंबे समय तक कब्जे में रहने का कोई कानूनी परिणाम नहीं होगा।इन परिस्थितियों में, दीवानी न्यायालय अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करने में सही और न्यायसंगत था और उस निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया जाना चाहिए था।इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं और अपील के तहत निर्णय को अपास्त करते हैं और

9 (2017) 2 SCC 759

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वाद संख्या 408/2013 में नोटिस आफ मोशन संख्या 344/2013 में बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2013 को बहाल करते हैं।"

23. अब, वर्तमान अपील के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 और 2–वादीगण को भोजन और मामूली चिकित्सा देखभाल के आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ भुगतानों के अधीन वृद्धाश्रम में रहने की अनुमति दी गई थी।एक वृद्धाश्रम के एक कमरे में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का कब्जा एक लाइसेंसधारी का है जिसे रहने की अनुमति है, लेकिन संपत्ति में कोई रूचि लिए बिना। अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के व्यवहार को साथ रहने वाले व्यक्तियों और वृद्धाश्रम के कर्मचारियों के अनुकूल नहीं पाया। यह न्यायालय अपीलकर्ताओं की राय के बारे में न्यायिक समीक्षा नहीं करेगा।कानूनी मुद्दे पर, प्रतिवादी संख्या 1 और 2, चूंकि लाइसेंसधारियों को वृद्धाश्रम के कमरे में रहने का कानूनी अधिकार है, जब तक कि वे ऐसे लाइसेंस के नियमों और शर्तों का पालन करते हैं।चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को संबंधित दायित्वों का पालन किए बिना अपने कब्जे की रक्षा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, क्योंकि उनका कब्जा कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि केवल एक अनुमेय कब्जा है और वे वृद्धाश्रम के प्रबंधन को बाधित न करने के लिए किसी निषेधाज्ञा की मांग नहीं कर सकते।

24. यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब माता–पिता की देखभाल बच्चों द्वारा नहीं की जा सकती है, लेकिन तथ्य यह है कि अपने बच्चों द्वारा माता–पिता का परित्याग अब जीवन का एक कठिन तथ्य है।माता–पिता के लिए इस स्थिति को संभालना मुश्किल होता है कि उस उम्र में उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है।इसलिए माता –

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पिता अपने जीवन की शाम को जिस मानसिक आघात का सामना करते हैं, उसे कोई भी समझ सकता है लेकिन माता–पिता की पीड़ा अन्य साथ रहने वाले व्यक्तियों या आयोजकों के लिए परेशानी का कारण नहीं हो सकती , जिन्होंने वृद्धाश्रम की देखभाल करने और चलाने का संकल्प लिया है।वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग लाइसेंसधारी होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे न्यूनतम स्तर का अनुशासन और अच्छा व्यवहार बनाए रखें और साथ रहने वाले व्यक्तियों को परेशान न करें जो वरिष्ठ नागरिक भी हैं। इसलिए, यदि एक वृद्धाश्रम में अन्य रहने वाले व्यक्तियों की शांति में व्यवधान का कारण है , तो वृद्धाश्रम का प्रशासन लाइसेंस समाप्त करने और व्यक्ति को आवंटित कमरा खाली करने के लिए कहने के लिए स्वतंत्र है। भले ही वृद्धाश्रम के आयोजक वादी की अपेक्षाओं या आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम न हों, इससे वादी को अन्य साथ रहने वाले व्यक्तियों को परेशान करने का कोई कारण नहीं मिलेगा।एक लाइसेंसधारी व्यक्ति के रूप में वादी को आवंटित आवास में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो विशुद्ध रूप से वृद्धावस्था में लोगों द्वारा सामना की जाने वाली मानवीय समस्या का एक दृष्टिकोण है।वादी को वैकल्पिक आवास की भी पेशकश की गई है।

25. एक लाइसेंसधारी के रूप में वादी वृद्धाश्रम में रहने के लिए निषेधाज्ञा नहीं मांग सकते, जब तक कि वे अन्य व्यक्तियों को शांतिपूर्ण सह –अस्तित्व की अनुमति नहीं देते।इसलिए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई निषेधाज्ञा पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई निषेधाज्ञा की विधि में आवश्यकता नहीं है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

26. जैसा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित है, अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए एक वैकल्पिक वृद्धाश्रम की व्यवस्था करेगा।

27. हालांकि, हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों की रहने की स्थिति की जांच करने के लिए नगर निगम या समाज कल्याण विभाग के विचार करने के लिये है ताकि वहां रहने वाले व्यक्ति उस उम्र में यथासंभव आरामदायक परिस्थितियों में रह सकें।

28. हम उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देश देते हैं कि वह एक अर्ध–विधिक स्वयंसेवी को वृद्धाश्रम में ऐसे अंतराल पर आने के लिए प्रतिनियुक्त करे जो संभव हो सके और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को शुरू में महीने में कम से कम एक बार वृद्धाश्रम का दौरा करना होगा ताकि रहने वाले व्यक्तियों को होने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जा सके और यदि आवश्यक हो तो वृद्धाश्रम के व्यक्तियों द्वारा कानूनी सहायता प्रदान करने सहित निवारण कदम उठाया जा सके।

29. पूर्वोक्त निर्देशों और स्वतंत्रता के साथ, वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है और वादियों–प्रतिवादियों द्वारा मांगी गई अंतरिम निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।

.....

(न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता)

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

.....

(न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम)

नई दिल्ली ;

06 मई, 2022

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।